HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR

Endorsement No. C/3834 Jabalpur, dated 12.9.2017.

Kindly peruse the Notification of the Government of M.P. F.No.1-6/89/XXI-B(1)3578/2017, Bhopal, dated 11.9.2017, issued as per the provisions of Section 36(2) of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 is forwarded to;

- 1. Registrar cum P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of M. P., Jabalpur for kind information of Hon'ble the Chief Justice,
- 2. The Registrar General, High Court of M.P., Jabalpur for kind information.
- Principal Registrar, High Court of M.P. Bench at Gwalior and Indore for information,
- 4. The District and Sessions Judges, Seoni, Sheopur, Mandsaur and Neemuch for information and necessary action with request that the same be served on the concerned officers also.
- 5. The Deputy Registrar, Confidential and the Section Officer, Checker, High Court of M.P., Jabalpur for information,

6. The Registrar (I.T.) for appropriate action in connection with uploading the notification on the website of the High Court.

(Vivek Saxena) O.S.D. (D.E.)

मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 🕖 सितम्बर, 2017

फा.क्रमांक 1-6/89/21-ब(एक) 3578/2017,— स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक 1-6-89-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 3 अप्रैल, 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 17 अप्रैल, 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,

(1) अनुक्रमांक 40, तथा 49 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात :--

अनुकमां क	न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम	विशेष न्यायालय	स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड
"40.	श्री मनोज कुमार लड़िया, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिवनी	सिवनी	सिवनी
49.	श्री मुंशी सिंह चन्द्रावत, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, श्योपुर	श्योपुर	श्योपुर.''

(2) अनुक्रमांक 7—ख एवं 46—2 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएं, अर्थातः—

"७–ग.	श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा, अतिरिक्त	भानपुरा	भानपुरा
	सेशन न्यायाधीश, भानपुरा	मंदसौर	मंदसौर
46-3	श्री रर्घुवीर प्रसाद पटेल; अतिरिक्त	जावद	जावद
	सेशन न्यायाधीश, जावद	नीमच	नीमच.''

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें।

NOTIFICATION

F-N01-6/89/XX1-B(1) 3578/2017.-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No.61 of 1985), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in this department's Notification No. F.1-6/89-XX1-B(1) dated 3rd April, 1998, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1 dated the 17th April, 1998, namely:-

AMENDMENT

In the said Notification, in the table,

(1) for serial numbers 40 and 49 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

S.No.	Name and Designation of the Judge	Special Court	Local area Session Divisions
140.	Shri Manoj Kumar Ladia. III rd Additional Sessions Judge. Seoni	Sconi	Seoni
49.	Shri Munshi Singh Chandrawat. Special Judge. Scheduled Castes. Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act. Sheopur	Sheopur	Sheopur."

(2) after serial number 7-B and 46-2 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely:-

··7-C.	Chairling to the state of the s			
/-C.	Shri Hitendra Kumar Mishra.	Bhanpura	Bhanpura	
†	Additional Company Lat. Di	•	Dianpara	
r	Additional Sessions Judge, Bhanpura	Mandsaur	Mandsaur	
46-3	Shri Raghuvir Prasad Patel, Additional	Jawad		
_	1	Jawau	Jawad	
}	Sessions Judge, Jawad	Neemuch	Neemuch."	
ivecinacii.				

This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(ए. एम. सक्सेना) प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ.क्रमांक 1—6 / 89 / 21—ब(एक) 3578 / 2017, प्रतिलिपि:—

भोपाल, दिनांक.!!/ सितम्बर,2017

- रिजिस्ट्रार ज्निरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर,की ओर उनके ज्ञापन कमांक .सी / 3302 / 111-6-3/89, दिनांक 11 अगस्त, 2017 के संदर्भ में,
- 2. सचिव, म.प्र. शासन, गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, भोपाल,
- 3. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर, सिवनी, नीमच एवं मंदसौर म.प्र., की ओर 'सूचनार्थ प्रेषित।
- 4. ्उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय,भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं (म.प्र. राजपत्र भाग-एक के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

5. शांखा प्रभारी, आय.टी.शांखा,विधि और विधायी कार्य विभाग,भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड़ करने बाबत प्रेषित।

> १ (आर्र) केंग्र वाणी) मध्यप्रदश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग